144

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1108-पॉच/1999 - विरूद्ध आदेश दिनांक 14-6-1999 - पारित व्दारा आयुक्त, सागर संभाग, सागर - प्रकरण क्रमांक 31 अ-68/1997-98 अपील

मोहम्मद शफी पुत्र खुदावक्श
निवासी महल के सामने छतरपुर
तहसील व जिला छतरपुर , म0प्र0 ---आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस. के. अवस्थी)
(अनावेदक के पैनल लायर श्री बी0एन0त्यागी)

## आ दे श

(आज दिनांक 16-1 -2017 को पारित)

यह निगरानी व्दारा आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 31 अ-68/1997-98 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-6-99 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि नजूल सर्वेयर छतरपुर ने तहसीलदार नजूल छतरपुर को इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि आवेदक ने महल के सामने प्रताप सागर तालाब के उत्तरी भाग से सगे हुये 760 वर्गफुट भू भाग पर दो मंजिला मकान बनाकर एंव 38 वर्गफुट पर छज्जा बनाकर अतिक्रमण किया है। तहसीलदार नजूल छतरपुर ने प्रकरण क्रमांक 143/अ-68/1994-95 पंजीबद्ध किया तथा आवेदक को कारण बताओ नोटिस जारी किया। आवेदक अभिभाषक के माध्यम से पेशी 17-7-1995 को उपस्थित हेतु एंव उत्तर प्रस्तुत करने हेतु समय मॉगा। तहसीलदार ने आगामी पेशी 20-7-95 नियत कर समय प्रदान किया, इस पेशी पर आवेदक एंव उसके अभिभाषक अनुपस्थित रहे। तहसीलदार नजूल ने आवेदक के विरूद्ध जानबूझकर अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये जॉच उपरांत आदेश दिनांक 2-12-1995 पारित किया तथा आवेदक पर 1000/-रू. अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुये भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये।

आवेदक ने तहसीलदार नजूल के प्रकरण क्रमांक 143/अ-68/1994-95 में पारित आदेश दिनांक 2-12-95 के विरूद्ध अनुविभगीय अधिकारी छतरपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक को श्रवण कर प्रकरण क्रमांक 115/1996-97 अपील में आदेश दिनांक 21-10-97 पारित किया तथा अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष प्रकरण क्रमांक 31 अ-68/1997-98 अपील प्रस्तुत हुई, जिसमें पारित आदेश दिनांक 14-6-99 से अपील निरस्त की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि तहसीलदार नजूल ने आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया। आवेदक को वादग्रस्त भूमि की अस्थाई लीज प्राप्त है। भूमि नगरपालिका क्षेत्र की होने से भू राजस्व संहिता की धारा 248 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। उन्होंने निगरानी स्वीकार करने की मांग रखी।

शासन के पैनल लायर ने तर्क दिया कि आवेदक को नजूल विभाग से अस्थाई लीज दी गई थी किन्तु आवेदक ने लीज की शर्तो का पालन नहीं किया। नगर पालिका की अनुमति के बिना एंव नक्शा एप्रूव्ह कराये बिना निर्माण किया है। जितनी भूमि की लीज थी, उससे अधिक भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया। तहसीलदार ने आवेदक को बचाव का अवसर दिया था किन्तु आवेदक जनबूझकर अनुपस्थित रहा है। उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग रखी।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख पर से निम्न बिन्दु निगरानी के निराकरण हेतु बनाये गये :-

1. क्या तहसीलदार नजूल छतरपुर ने आवेदक को सुनवाई का समुचित नहीं दिया ?
2. क्या आवेदक को वादग्रस्त भूमि की अस्थाई लीज दी गई है एंव कितने भू भाग की लीज दी गई है ?
3. क्या आवेदक ने लीज की शर्तो का विधिवत् पालन किया है ?

4. क्या नगर पालिका क्षेत्र स्थित नजूल भूमि पर अतिक्रमण के मामलों में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 248 के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है अथवा नहीं ?

(1) क्या तहसीलदार नजूल छतरपुर ने आवेदक को सुनवाई का समुचित नहीं दिया?

इस सम्बन्ध में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि आवेदक के विरुद्ध तहसीलदार नजूल छतरपुर ने प्रकरण क्रमांक 143/अ-68/94-94 पंजीबद्व करके सुनवाई हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया है जिस पर पेशी 17-7-1995 को आवेदक अभिभाषक के साथ उपस्थित हुआ है एंव आवेदक के अभिभाषक ने नोटिस का जवाव प्रस्तुत करने हेतु समय की मांग की है, किन्तु आगामी पेशी 20-7-95 को जवाव प्रस्तुत करने के बजाय आवेदक एंव उसके अभिभाषक जानबूझकर अनुपस्थित हो गये , जिसके कारण तहसीलदार ने उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की है। प्रकरण के अवलोकन पर स्थिति यह है कि आवेदक ने आगे की पेशियों पर अथवा आगे क्या कार्यवाही हो रही है, जानने हेतु तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होने का प्रयास भी नहीं किया है जिसके कारण आवेदक के अभिभाषक का यह तर्क व्यर्थ है कि आवेदक को तहसीलदार ने सुनवाई का अवसर नहीं दिया है।

(2) क्या आवेदक को वादग्रस्त भूमि की अस्थाई लीज दी गई है एंव कितने भू भाग की लीज दी गई है?

(3) क्या आवेदक ने लीज की शर्तो का विधिवत् पालन किया है?

अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि आवेदक को छतरपुर नगर की नजूल भूमि, जो महल के सामने प्रताप सागर तालाब के उत्तरी भाग से लगी है के 620 वर्गफुट भू भाग की लीज कलेक्टर के

आदेश दिनांक 15-6-1984 से वर्ष 1984 से वर्ष 1995 तक के लिये रू. 335 एंव भू भाटक रू. 25.92 पर दी गई थी, किन्तु आवेदक ने केवल 335 रू. शासन हित में जमा किये हैं एंव वार्षिक भू भाटक जमा नहीं किया है। इस प्रकार आवेदक ने लीज की शर्तो का प्रारंभ से ही उल्लॅघन किया है। जॉच में यह भी पाया गया है कि आवेदक को मात्र 620 वर्गफुट भूमि की अस्थाई लीज स्वीकृत की गई है जिस पर आवेदक ने स्थाई निर्माण कार्य 760 वर्गफुट भू भाग पर दो मंजिला मकान बनाकर एंव 38 वर्गफुट पर छज्जा बनाकर किया है। इस प्रकार आवेदक वाद विचारित भूमि का अतिक्रामक हैं एंव उसने लीज की शर्तो का उल्लॅघन किया है जो शासन के हितों के विपरीत है।

(4) क्या नगर पालिका क्षेत्र स्थित नजूल भूमि पर अतिक्रमण के मामलों में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 248 के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है अथवा नहीं ?

आवेदक के अभिभाषक व्दारा दिये गये तर्को पर से इस बिन्दु पर विचार करने पर स्थिति यह है कि मुन्नालाल विरूद्ध एम.पी.स्टेट 1977 रा.नि. 288 हाईकोर्ट का न्याय दृष्टांत है कि नजूल जमीन में अन्याक्रान्ति किये जाने पर शासन व्दारा अतिक्रमण हटाया जा सकता है। इसी प्रकार मुन्नालाल वि. म0प्र0राज्य 1977 रा.नि. 288, म0प्र0राज्य विरूद्ध आत्माराम 1970 रा.नि. 80 के दृष्टांत हैं कि वादी के मकान और सड़क के बीच नजूल जमीन थी जिस पर वादी ने चबूतरा एंव बालकनी बनाया तो चतूबरा के लिये अन्याक्रांति मामले में अर्थदण्ड एंव तोड़ने का आदेश हुआ। वादी ने चबूतरा बालकनी निर्माण को न तोड़ने के लिये सिविल वाद पेश किया। निर्णय दिया गया कि नगर पालिका में निहित भूमि से अतिक्रमण नगर पालिका एंव शासन दोनों हटा सकते हैं। रसीदखान एंव अन्य एक विरूद्ध स्टेट आफ एम.पी. एंव

अन्य 2011(5) एम.पी.एच.टी. 97 हाई कोर्ट में बताया गया है कि धारा 248 भू राजस्व संहिता के प्रावधान नगरपालिका क्षेत्र को भी लागू होते हैं। अतएव इस सम्बन्ध में आवेदक के अभिभाषक व्दारा तर्को के दौरान संहिता की धारा 248 के प्रावधान लागू न होने वावत् उठाई गई आपत्ति माने जाने योग्य नहीं है।

तहसीलदार नजूल छतरपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 143/ अ-68/ 1994-95 में पारित आदेश दिनांक 2-12-95 एंव अनुविभगीय अधिकारी छतरपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 115/1996-97 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-10-97 तथा आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 31 अ-68/1997-98 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-6-99 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप करना संभव नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण क्रमांक 31 अ-68/1997-98 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-6-99 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर